न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ. अंजलि राजौरिया (I.A.S.)
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
14 / 2022	2022 / 00075	09.11.2022	25.10.2024
78 / 2024	2024 / 102	05.09.2024	

1. श्री गोपाल पिता वरदा गायरी निवासी बगवास तहसील व जिला प्रतापगढ़
2. श्री सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ़

:— प्रार्थीगण

—: बनाम :—

1. श्री लच्छीराम पिता हीराजी मीणा निवासी पांच ईमली तहसील व जिला प्रतापगढ़
   तहसीलदार प्रतापगढ़

:— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

1. श्री रामचन्द्र मालवीय (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. पेरोकार सरकार (अपीलार्थी संख्या–2)
3. श्री शरद चिप्पड (अधिवक्ता विपक्षीगण)

—: आदेश :— दिनांक :— 25.10.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम करमदीखेडा पटवार हल्का लुहारिया की आराजी नंबर 213 रकबा 0.37 आराजी नंबर 214 रकबा 0.10, आराजी नंबर 215 रकबा 0.64 है. एवं आराजी संख्या 204 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.23 है. भूमि विपक्षी श्री लच्छीराम पिता हीराजी मीणा निवासी करमदीखेडा को दिनांक 25.04.2022 को आवंटित की गई है जबकि उक्त आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा नहीं है एवं आराजी नंबर 215 प्रार्थी के खाते में दर्ज आराजी से लगी हुई भूमि है एवं प्रार्थी के द्वारा काफी पैसा लगाकर बंजर भूमि को उपयोगी बनाया है। उक्त आराजी को भूमि आवंटन से पूर्व नियमानुसार उद्घोषणा जारी नहीं की गई है और उद्घोषणा की प्रति ग्राम पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी नहीं की है। प्रार्थी दिनांक 25.04.2022 को करमदीखेडा में आयोजित कैम्प में उपस्थित रहा और आराजी नंबर 215 रकबा 0.20 को आवंटन हेतु फार्म भरकर पटवारी लुहारिया को दिया जिसे पटवारी के द्वारा ग्राम करमदीखेडा के पैराफेरी क्षैत्र में अवस्थित होने से आवंटन के निरस्त योग्य बताया। प्रार्थी का उक्त आराजी पर 20–25 वर्ष पुराना निर्विवाद कब्जा है तथा पैनल्टी राशि जमा कराता रहा है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

प्रार्थी ने निवेदन किया कि विपक्षी लच्छीराम दुसरे गांव पांच ईमली का रहने वाला है जिसे ग्राम करमदीखेडा में आवंटन किया गया है। प्रार्थी को वादग्रस्म आराजी की जानकारी दिनांक 02.08.2022 को होने पर उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ कार्यालय से नकले निकलवाई व अपील प्रस्तुत की एवं धारा 5 मियाद अधिनियम को प्रार्थना पत्र, सम्मन नोटिस, शपथ पत्र, पैनल्टी की रसीद एवं भूमि आवंटन मिसल उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़ आदि प्रस्तुत कर विपक्षी को दिनांक 25.04.2022 से मौजा करमदीखेडा की आराजी 215 रकबा 0.64 है. भूमि आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली को दिनांक 09.11.2022 से दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये जिनकी बाद तामिल विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री शरद चिप्पड उपस्थि हुए। न्यायालय के पत्र कमांक सरिश्ता/2022/14 दिनांक 09.11.2022 से उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन सलाहकार समिति प्रतापगढ़ एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को दिनांक 25.04.2022 से आवंटित भूमि की वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा जरिये पत्र कमांक तहसील/राजस्व/2022/6160 दिनांक 07.12.2022 से विस्तृत जांच रिपोर्ट न्यायालय को प्रस्तुत की। तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत अनुसार राजस्व ग्राम करमदीखेडा के आराजी नंबर 213, 214, 215, 204 कुल किता 04 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि वर्तमान में पडत होकर किसी के कब्जे काश्त नहीं है किन्तु पडोसी काश्तकारों के विवाद होने की स्थिति में उक्त आराजी को पडत छोड दिया है एवं वर्तमान में लच्छीराम पिता हीरा मीणा साकिन देह के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

प्रकरण में वर्णित भूमि एवं विवादित आवंटन के संबंध में तहसीलदार प्रतापगढ़ द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत् विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 99 दिनांक 22.04.2022 के प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा में जरिये प्रकरण संख्या 78/2024 GCMS No. 2024/102 के अनुसार दर्ज रिकार्ड किया जाने पर संज्ञान में आया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं नवीन दर्ज प्रकरण संख्या 78/2024 समान प्रकृति का प्रार्थना पत्र होकर समान पक्षकारान के मध्य विवाद ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण के वकुलाय पक्षकारान के निवेदन अनुसार समेकित (Consolidated) किया जाकर बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई ।

दौराने बहस वकुलाय पक्षकार उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से श्री रामचन्द मालवीय एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार प्रतापगढ़ उपस्थित हुए एवं विपक्षी लच्छीराम को मौजा ग्राम करमदीखेडा पटवार हल्का लुहारिया की आराजी नंबर 213 रकबा 0.37 आराजी नंबर 214 रकबा 0.10, आराजी नंबर 215 रकबा 0.64 है. एवं आराजी संख्या 204 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.23 है. भूमि विपक्षी श्री लच्छीराम पिता हीराजी मीणा निवासी करमदीखेडा को दिनांक 25.04.2022 को आवंटित भूमि आवंटन को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। एवं विवादित भूमि के फोटोग्राफ प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 की ओर से श्री शरद चिप्पड ने दिनांक 28.06.2024 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रकबा 1.23 है. भूमि पर विपक्षी अपने

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

बाप दादा के समय से काबिज चला आ रहा है एवं प्रार्थी गांव बगवास का निवासी होकर प्रार्थी की आराजी कभी भी करमदीखेडा में स्थित नहीं रही है। अप्रार्थी को आवंटन कमेटी द्वारा विधिक कार्यवाही करते हुए उदघोषणा जारी की है व नियमानुसार नोटिस चस्पा किये गये है। प्रार्थी के ग्राम बगवास का निवासी होने से गांव करमदीखेडा कैम्प में उपस्थित होना संभव नहीं होना जाहिर किया। विपक्षी आज भी उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर फसल बोता एवं लेता चला आ रहा है प्रार्थी का आराजी संख्या 215 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थी गांव बगवास का निवासी है जिसकी आराजी कभी भी करमदीखेडा या आसपास के क्षैत्रों में नहीं रही है, प्रार्थी आराजी संख्या 215 के 0.64 है. भूमि बाबत नाजायज कब्जे की राशि जमा कराता रहा हो जबकि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में 0.20 है. भूमि का कब्जा होने के कथन किये है। विपक्षी कदिमाना समय से काबिज चला आ रहा है। अतः आवेदन प्रार्थी अवधि बाधित होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थी, नकल भूमि आवंटन मिसल उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़, रिपोर्ट तहसीलदार, लिखित जवाब विपक्षी अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि विवादित आवंटनों के संबंध में राज्य सरकार से प्रेषित पत्र दिनांक 30.01.2024 से जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ शहर से 5 किमी की परिधि में स्थित राजस्व ग्राम टिमरवा, कमनपुरा, मनोहरगढ़, छोटीबम्बोरी, करमदीखेडा एवं मणावला अन्तर्गत विगत 3 वर्षो के दौरान राजकीय बिलानाम भूमियों का कृषि भूमि आवंटनों में हुई अनियमितता एवं भृष्टाचार के संबंध में समुचित प्रसंज्ञान हेतु कमेटी का गठन किया जाकर आवंटन प्रकरणों एवं आवंटित भूमियों के संबंध में प्रस्तुत जांच कमेटी की रिपोर्ट अनुसार विवादित आवंटन प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी आधार पर अवैध होना बताया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया विपक्षी को जरिये मिशल संख्या 99 दिनांक 22.04.2022 से आवंटित भूमि राजस्व ग्राम करमदीखेडा पटवार हल्का लुहारिया की आराजी नंबर 213 रकबा 0.37 आराजी नंबर 214 रकबा 0.10, आराजी नंबर 215 रकबा 0.64 है. एवं आराजी संख्या 204 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 1.23 है. भूमि आवंटन निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार प्रतापगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमियों से अवैध कब्जेधारियों को बेदखल करते हुए राजकीय भूमि को राजसात की जाकर राजस्व रिकार्ड में पुनः बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजौरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ